Ph. : 9793000300

HEERALAL YADAV PUBLIC SCHOOL

Benti, Sarojini Nagar, Lucknow-226401

Group Estd. 1997

Ref. HLYPS/0011 .... *Date* 23/02/2016 ....

To,
Basic Shiksha Adhikari
Lucknow, U. P.

Sir,

With due respect, I beg to inform you that CBSE vide their circular dated 08.07.2013 has amended Affliliation Bye-Laws of the Board for their affiliation (Copy enclosed).

In this connection, I beg to inform you that our school is Affiliated Pre Primary to class 8th from Uttar Pradesh Government Letter No. Basic – S. T. /8549/2015-16 Dated 17.02.2016 and we have applied for Provisional affiliation upto Secondary Level.

This is for your kind information please.

Thanking You

Encls: As above

Yours faithfully

MANAGER
Heeralal Yadav Public School
Benti, Lucknow

Manager
Heera Lal Yadav Public School
Benti, Sarojini Nagar, Lucknow

23.2.2016

Phone: 011-22520242 (Technical Query)
Phone: 011- 22528257 (General Queries Reg. Affl.)
Fax: 011-22540655

E-Mail: cbse.aff@nic.in
Website: www.cbse.nic.in
Affiliation Website: www.cbseaff.nic.in

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organization under the Union Ministry of Human Resource Development Govt. of India)
"SHIKSHA KENDRA", 2, COMMUNITY CENTRE, PREET VIHAR, DELHI – 110 301

REGD./SPEED POST
Circular No. 10

No. CBSE/AFF./Circular/2013/10 /581277

Dated: 08.07.2013

To,

All the Principals of the schools affiliated to the CBSE

Sub:- Amendment in affiliation Bye-laws Rule 3.3(I) chapter II-reg.

Sir/Madam,

Consequent upon recommendations of the Affiliation Committee made in its meeting held on 24.06.2013 and subsequently approval of the Governing Body of the Board in its meeting held on 28.06.2013, the following amendment in affiliation Bye-laws of the Board has been made by the Board:

Existing Rule 3.3 (I) chapter II	Amended Rule 3.3 (I) chapter II
The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T. Govt. Its application either should be forwarded by the State Govt. or there should be a No Objection Certificate to the effect that State Government has no objection to the affiliation of *the school with the CBSE. "No Objection Certificate"* once issued to any school will be considered at par even if it s prescribes a specific period of *stage unless it is withdrawn. Condition of submitting a No Objection Certificate will not be applicable to categories 3.1(i) to (iv)	The school seeking provisional affiliation with the Board must have formal prior recognition of the State/U.T Govt. and also to produce evidence to this effect that the applicant school had intimated to the concerned Education Department of the State about the application made to CBSE for seeking affiliation with the Board. In case, the Board receives any objection during the process of application of the school, the Board may ask the concerned school to produce the No Objection Certificate from the State Government or otherwise it would be assumed that concerned State/U.T. Government has No objection.

The above amendment is brought to the notice of all concerned.

Yours faithfully,

(U C BODH)
DEPUTY SECRETARY (AFFL)
08/07/13

MANAGER
Heeralal Yadav Public School
Benti,Lucknow

Copy for information to the following:

1. The Commissioner, Kendriya Vidyalaya Sangathan, 18- Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New-Delhi-110016.
2. The Commissioner, Navodaya Vidyalaya Samiti, B-15, Institutional Area,Sector-62,NOIDA-201307,District Gautam Budh Nagar,(Uttar Pradesh).
3. The Director of Education, Directorate of Education, Govt. of NCT of Delhi, Old Secretariat, Delhi-110054.

Contd....2....

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

सेवा में,

प्रबन्धक
हीरा लाल यादव पब्लिक स्कूल,
बेंती, सरोजनी नगर,
लखनऊ।

पत्रांक–बेसिक/मान्यता–स्थायी/ 9000 /2020–21 दिनांक 2.3.21

विषय–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्बन्ध में आदेश।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश में दिये गये प्राविधानों के तहत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ के पत्रांक–बेसिक–एस0टी0/8549/2015–16 दिनांक 17.02.2016 द्वारा आपके विद्यालय को प्री प्राइमरी से जूनियर हाई स्कूल (नर्सरी से कक्षा–8) स्तर तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता निर्धारित अवधि के लिए प्रदान की गयी थी। शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या–196/अडसठ–3–2020–2041/2018 दिनांक 29 जून 2020 के कम में खण्ड शिक्षा अधिकारी की संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय की पूर्व में प्रदत्त अनंतिम मान्यता को नवीनीकृत करते हुए विद्यालय संचालित रखने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत समस्त शासनादेशों/आदेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय बाध्य होगा।

भवदीय,

(दिनेश कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

<u>पृ0सं0 एवं दिनांक–उक्तवत्</u>

प्रतिलिपि–निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
2. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), षष्ठ मण्डल, लखनऊ
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
5. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
लखनऊ

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
हीरा लाल यादव पब्लिक स्कूल,
बेती,सरोजनी नगर,लखनऊ

पत्रांक/बेसिक–एस0टी0/ 8549 /2015–16,दिनॉक– 17.2.16

विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र

महोदय,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,लखनऊ आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2016–17 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री प्राइमरी से जू0हा0स्कूल (नर्सरी से कक्षा 8 तक)स्तर तक(अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैः–

1–मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।

2–विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010(उपाबंध 2)तथा नियमावली 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।

3–विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के **25 प्रतिशत** तक आस–पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4–पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियॉ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5–सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6–विद्यालय किसी बालक को,उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगाः

(1)प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

(2)किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।

(3)प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जाएगी।

(4)प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(5)अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना,

(6)अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1)के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक,जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है,पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।

(7)अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और,

(8)अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचार्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– पर्याप्त
कुल निर्मित क्षेत्रफल– मानक अनुसार
क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल– पर्याप्त है।
कक्षाओं की संख्या– 10
प्राध्यापक–सहकार्यालय– सहभण्डार के लिए कक्ष–03
बालक एवं बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा–उपलब्ध है।
मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई–एक
बाधारहित पहुँच–उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करों/ पुस्तकालय की उपलब्धता–उपलब्ध है।
9–विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
10–विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12–स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14–आपके विद्यालय को आवंटित **मान्यता कोड संख्यांकः 168** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15–विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हों और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
16–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण,यदि कोई हो,को सुनिश्चित किया जाए।
17–शासनादेश दिनॉकः08–5–2013 में दिए गए समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(प्रवीण मणि त्रिपाठी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।

पृ0सं0एवं तिथि–उक्तवत।
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
1–जिलाधिकारी,लखनऊ।
2–मुख्य विकास अधिकारी,लखनऊ।
3–शिक्षा निदेशक(बेसिक)उ0प्र0,लखनऊ/इलाहाबाद।
4–सचिव,उ0प्र0बेसिक शिक्षा परिषद,इलाहाबाद।
5–जिला समाज/जिला अल्पसंख्यक/जिला पिछड़ा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी,लखनऊ।
6–उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी (नगर/ग्रामीण)लखनऊ।
7–कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
लखनऊ।